Date 06.10.25 time 1.00 pm period 4 important Austine and

Austin's Command Theory

According to John Austin, every law is a type of *command*. Thus, the term "command" is broader and encompasses the concept of law itself. Austin defines law as *"the command of the sovereign."* The idea of command is central to his entire theory of law and therefore must be properly analyzed and understood.

A *command* is an expression of the wish or desire of an intelligent and determinate person, directing another person to do or to refrain from doing a particular act. The violation of this command leads to an *evil* or *sanction*—a negative consequence imposed on the person who disobeys it.

This authoritative desire is not optional; it must be obeyed. Every command inherently carries the notion of *sanction*, meaning that if the command is disobeyed, the sanction automatically follows.

A command involves two parties:

1. **The Commander (Political Superior)** – the person or body giving the command, and
2. **The Commanded (Political Inferior)** – the person or group who must obey it.

The concept of *duty* arises from this relationship. Duty implies the obligation to comply with the command. Therefore, *command* and *duty* are interrelated terms—each presupposes the existence of the other. Whenever a duty exists, a command must have been issued; and whenever a command is issued, a duty is imposed.

In short, the *commander* is the one who possesses the authority to impose commands and enforce sanctions, while the *commanded* is the one bound or obliged by those commands under the threat of sanctions.

"ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत (Austin's Command Theory)"}

ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत (Austin's Command Theory)

जॉन ऑस्टिन के अनुसार, प्रत्येक *कानून (Law)* वास्तव में एक प्रकार का *आदेश (Command)* है। इसलिए "आदेश" शब्द एक व्यापक शब्द है जो "कानून" की अवधारणा को अपने भीतर समाहित करता है। ऑस्टिन ने कहा — *"कानून संप्रभु (Sovereign) का आदेश है।"* उनके पूरे सिद्धांत का केंद्र बिंदु "आदेश" की यही अवधारणा है, जिसे सही ढंग से समझना आवश्यक है।

आदेश का अर्थ

ऑस्टिन के अनुसार, आदेश किसी *बुद्धिमान और निश्चित व्यक्ति* की इच्छा या अभिलाषा का ऐसा अभिव्यक्ति है, जिसमें वह किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए निर्देश देता है। यदि उस आदेश का उल्लंघन किया जाए तो उसका परिणाम *दंड (Sanction)* या *हानि (Evil consequence)* के रूप में सामने आता है।

यह इच्छा *अधिकारिक (Authoritative)* होती है — इसका पालन करना अनिवार्य होता है, विकल्प नहीं। प्रत्येक आदेश में स्वाभाविक रूप से *दंड का तत्व* निहित होता है, अर्थात यदि आदेश की अवहेलना की जाती है, तो दंड स्वतः लागू होता है।

आदेश के तत्व (Elements of Command)

एक आदेश में दो पक्ष होते हैं —

1. **आदेश देने वाला (Political Superior)** — जो आदेश देता है, और

2. **आदेश मानने वाला (Political Inferior)** — जिसे उस आदेश का पालन करना होता है।

कर्तव्य (Duty)
आदेश से *कर्तव्य* की उत्पत्ति होती है। कर्तव्य का अर्थ है — आदेश का पालन करने की बाध्यता। इस प्रकार *आदेश* और *कर्तव्य* एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जहाँ कर्तव्य है, वहाँ कोई आदेश अवश्य होगा; और जहाँ आदेश है, वहाँ कर्तव्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है।

सारांश
संक्षेप में, *आदेश देने वाला* वह होता है जिसके पास शासन करने या दंड देने की शक्ति होती है, जबकि *आदेश मानने वाला* वह होता है जो उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होता है, अन्यथा उसे दंड या हानि का सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार, ऑस्टिन का सिद्धांत कानून को नैतिकता या न्याय के विचारों से नहीं, बल्कि *राजनीतिक संप्रभु के आदेश और दंड की संभावना* से जोड़ता है।
:::

General and Specific Commands (Austin's Classification of Commands)

A *command* means to tell or direct someone to do or not to do something.

1. **General Command:**
   When a command obliges generally — that is, it applies to a whole class of people or actions — it is called a *general command*. Such a command regulates a continuous course of conduct for all future occasions. Therefore, a *general command* is what we understand as *law or rule*. It governs behavior not just once, but for all times to come.

2. **Specific or Occasional Command:**
   When a command obliges a particular person to perform or refrain from a specific act, it is called a *specific* or *occasional command*. This type of command applies only to an individual case or instance.

Thus, *law* represents a *general command* issued by the sovereign, while *specific commands* are temporary or one-time directions.

"सामान्य और विशेष आदेश (General and Specific Commands)"}
सामान्य और विशेष आदेश (General and Specific Commands)

आदेश का अर्थ:
आदेश का अर्थ है — किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए कहना या निर्देश देना।

1. **सामान्य आदेश (General Command):**
   जब कोई आदेश *सामान्य रूप से* लागू होता है, अर्थात वह किसी *पूरे वर्ग (class)* या *समूह* के लोगों या कर्मों पर लागू होता है, तो उसे *सामान्य आदेश* कहा जाता है।
   ऐसा आदेश व्यवहार के एक निरंतर नियम या आचार-संहिता को नियंत्रित करता है और *भविष्य के सभी समयों* के लिए लागू रहता है।
   इसलिए, सामान्य आदेश ही वास्तव में *कानून (Law)* या *नियम (Rule)* कहलाता है। यह केवल एक अवसर के लिए नहीं, बल्कि स्थायी रूप से आचरण को संचालित करता है।

2. **विशेष या अवसरिक आदेश (Specific or Occasional Command):**
   जब कोई आदेश किसी *विशिष्ट व्यक्ति* को किसी *विशिष्ट कार्य* को करने या न करने के लिए बाध्य करता

है, तो उसे *विशेष (Specific)* या *अवसरिक (Occasional) आदेश* कहा जाता है।
इस प्रकार का आदेश केवल किसी *एक विशेष परिस्थिति या अवसर* तक सीमित रहता है।

सारांश:
इस प्रकार, *कानून (Law)* वास्तव में *सामान्य आदेश* होता है, जिसे संप्रभु (Sovereign) द्वारा जारी किया जाता है, जबकि *विशेष आदेश* केवल अस्थायी या एक बार के लिए दिए गए निर्देश होते हैं।

Map

Command >>>>>>>>>>>duty >>>>>>>>>>>sanction.

---wish to do something or not to do something >>>>>>non compliance for this wish>>>sanction.

Command …….law or rule general command occasional / particular / specific.

General command -------specific or privilege.

Tests of the Command Theory: Customary Law and Judge-Made Law

There are certain limitations or tests that challenge Austin's *Command Theory*, particularly in relation to *customary law* and *judge-made law*.

1. **Customary Law:**
   There are two schools of thought regarding customary law.
   - According to the supporters of customary law, customs exist as *positive law* because they are recognized and adopted by society through continuous usage, not because they are established by any political superior.
   - However, according to Austin, customs are not law unless they are *recognized or adopted* by the *sovereign*. In his view, customs do not become law merely by long practice; they become law only when the sovereign chooses to recognize and enforce them. Therefore, customs derive their authority from the sovereign's acceptance, not from social approval.
2. **Judge-Made Law:**
   Austin also rejected the idea that judges make law independently. He argued that when judges create rules through their decisions, they do so under the authority delegated by the sovereign. Thus, even *judge-made laws* are, in Austin's view, ultimately commands of the sovereign, because the power of the judiciary itself comes from the sovereign.

"आदेश सिद्धांत की परीक्षा: प्रथागत और न्यायाधीश निर्मित कानून"}

आदेश सिद्धांत की परीक्षा (Tests of the Command Theory): प्रथागत कानून और न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून

ऑस्टिन के *आदेश सिद्धांत (Command Theory)* की कुछ सीमाएँ हैं, विशेष रूप से *प्रथागत कानून (Customary Law)* और *न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून (Judge-made Law)* के संदर्भ में।

1. **प्रथागत कानून (Customary Law):**
   प्रथागत कानून के विषय में दो विचारधाराएँ हैं —

- *पहला विचार:* प्रथाएँ (Customs) समाज द्वारा निरंतर रूप से अपनाई गई और व्यवहार में लाई गई होती हैं, इसलिए वे *सकारात्मक कानून (Positive Law)* के रूप में अस्तित्व रखती हैं। उनका बल समाज की स्वीकृति से आता है, न कि किसी राजनीतिक संप्रभु (Political Superior) की स्थापना से।
- *ऑस्टिन का मत:* ऑस्टिन के अनुसार, कोई भी प्रथा तब तक *कानून* नहीं बन सकती जब तक उसे *संप्रभु (Sovereign)* द्वारा मान्यता या स्वीकृति प्राप्त न हो। केवल समाज द्वारा अपनाई जाने से कोई प्रथा कानून नहीं बन जाती। जब संप्रभु उसे स्वीकार कर लागू करता है, तभी वह *कानून का स्वरूप* ग्रहण करती है। इस प्रकार, प्रथाओं की वैधता समाज नहीं, बल्कि संप्रभु की स्वीकृति से निर्धारित होती है।

2. **न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून (Judge-made Law):**
   ऑस्टिन ने इस विचार को भी अस्वीकार किया कि न्यायाधीश स्वयं कानून बनाते हैं। उनके अनुसार, जब न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत बनाते हैं, तो वे ऐसा *संप्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार* के अंतर्गत करते हैं। इसलिए, न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून भी अंततः *संप्रभु के आदेश* का ही रूप होते हैं, क्योंकि न्यायपालिका की शक्ति स्वयं संप्रभु से प्राप्त होती है।

निष्कर्ष:

ऑस्टिन के अनुसार, चाहे वह *प्रथागत कानून* हो या *न्यायाधीश निर्मित कानून,* दोनों ही अपनी वैधता *संप्रभु की स्वीकृति* से प्राप्त करते हैं। बिना संप्रभु की मान्यता के कोई भी नियम "कानून" नहीं कहलाया जा सकता।

******* ********* ********* ********** ******** ********

Date 8.10.2025 time 10.30 am period 2

The Theory of Sovereignty (सम्प्रभुता का सिद्धांत)

According to Austin, every *positive law* is set by a **determinate political superior** to the members of an **independent political society**. The main distinction between *positive law* and *positive morality* lies in the fact that positive law is established by a political superior, whereas positive morality is not.

This political superior is technically known as the **sovereign**. Austin defines law as a **command** which obliges a person or group of persons to follow a particular course of conduct. Laws, like other commands, proceed from a superior and bind or oblige the inferior.

Superiority, in Austin's sense, does not refer to rank, wealth, or virtue, but to **sovereign authority**—the power to make and enforce laws within a society. Thus, the superiority of the sovereign is not a matter of dignity or virtue but of *effective power*.

Austin further explains that the term "superiority" signifies **might**—the power of inflicting evil or pain, and compelling obedience through fear of such consequences.

Therefore, the **theory of sovereignty** states that every *positive law* is made by a **sovereign person or a sovereign body of persons** for the members of an **independent political society**, within which that person or body is **supreme**.

सम्प्रभुता का सिद्धांत (Theory of Sovereignty)

ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक *सकारात्मक विधि* (Positive Law) किसी *निश्चित राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता* (Determinate Political Superior) द्वारा एक *स्वतंत्र राजनीतिक समाज* (Independent Political Society) के सदस्यों पर लागू की जाती है।

ऑस्टिन का मानना है कि *सकारात्मक विधि* और *सकारात्मक नैतिकता* (Positive Morality) के बीच मुख्य अंतर यह है कि *सकारात्मक विधि* एक *राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता* द्वारा बनाई जाती है, जबकि *सकारात्मक नैतिकता* किसी राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती।

यह *राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता* तकनीकी रूप से **सम्प्रभु (Sovereign)** कहलाती है। ऑस्टिन ने विधि (Law) को इस रूप में परिभाषित किया है कि —
"विधि एक आदेश (Command) है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी विशेष आचरण का पालन करने के लिए बाध्य करता है।"

हर विधि या आदेश किसी *श्रेष्ठ सत्ता (Superior)* से निकलता है और *अधीन (Inferior)* व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है।

ऑस्टिन के अनुसार, *श्रेष्ठता (Superiority)* का अर्थ पद, धन, या सद्गुण (Virtue) में श्रेष्ठ होना नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति या संस्था की *सत्ता (Authority)* को दर्शाता है जो समाज में विधि बनाने और उसे लागू कराने की सामर्थ्य रखती है।

इस प्रकार सम्प्रभु की श्रेष्ठता गरिमा या सद्गुण से नहीं, बल्कि *शक्ति (Might)* से मापी जाती है।

ऑस्टिन आगे कहते हैं कि "श्रेष्ठता" का अर्थ है — दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति, उन्हें भय या दंड के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना।

अतः सम्प्रभुता का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक *सकारात्मक विधि* किसी *सम्प्रभु व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह* द्वारा एक *स्वतंत्र राजनीतिक समाज* के सदस्यों के लिए बनाई जाती है, जहाँ वह व्यक्ति या समूह समाज में *सर्वोच्च सत्ता (Supreme Authority)* रखता है।

Criticism of Austin's Theory of Sovereignty

(A)

Austin's theory of sovereignty has been criticized on several grounds. One major criticism is that **many societies obey laws even when it is difficult or impossible to trace any connection between those laws and a sovereign authority**.

There have been societies in which no clear relationship exists between *law* and *sovereignty*. In such societies, laws were primarily based on **customs** or **religious duties**, which people obeyed out of moral or spiritual obligation rather than by command of any political superior.

Thus, **law can exist without a determinate sovereign**, and **obedience to law may arise from social or religious acceptance**, not merely from fear of political power. This weakens Austin's claim that all laws are commands issued by a sovereign backed by sanctions.

ऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धांत की आलोचना

ऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। मुख्य आलोचना यह है कि **कई समाज ऐसे हैं जहाँ लोग कानून का पालन करते हैं, भले ही उस कानून का किसी निश्चित सम्प्रभु सत्ता से कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।**

इतिहास में ऐसे समाज भी रहे हैं जहाँ *विधि* और *सम्प्रभुता* के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया जाता। उन समाजों में कानून मुख्य रूप से **रीतियों (Customs)**, **परंपराओं** या **धार्मिक कर्तव्यों** पर आधारित थे। लोग इन नियमों का पालन किसी राजनीतिक आदेश के कारण नहीं, बल्कि नैतिक या धार्मिक भावना से करते थे।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि **कानून का अस्तित्व किसी निश्चित सम्प्रभु सत्ता के बिना भी संभव है**, और **कानून के पालन का कारण सामाजिक या धार्मिक स्वीकृति भी हो सकती है**, न कि केवल दंड या भय से उत्पन्न आदेश।

इस प्रकार, यह आलोचना ऑस्टिन के इस कथन को कमजोर करती है कि *"सभी विधियाँ सम्प्रभु द्वारा जारी आदेश हैं जिनके पालन में बाध्यता होती है।"*

Henry Maine's View on Austin's Theory

Sir **Henry Maine** strongly criticized Austin's concept of sovereignty. According to Maine, **Austin's theory may apply to modern states, but it fails to explain the early or primitive societies** where law was not made by any political sovereign.

Maine argued that in ancient societies, **law developed gradually from customs, traditions, and social practices**, not from the command of any political superior. The people obeyed these rules **voluntarily** because they were part of their moral and religious life, not because they feared sanctions.

He famously said that —

"The movement of the progressive societies has been a movement from **status to contract**."

This means that early societies were governed by social status and customary rules, not by sovereign-made laws. Therefore, **law existed before sovereignty**, and **sovereignty is not the sole source of law**.

हेनरी मेन का दृष्टिकोण (Henry Maine's Criticism)

सर **हेनरी मेन** ने ऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धांत की तीव्र आलोचना की। मेन का कहना था कि **ऑस्टिन का सिद्धांत आधुनिक राज्यों पर तो लागू हो सकता है, लेकिन प्राचीन या प्रारंभिक समाजों पर नहीं।**

उनके अनुसार, प्रारंभिक समाजों में **विधि किसी राजनीतिक सम्प्रभु द्वारा नहीं बनाई गई थी**, बल्कि यह धीरे-धीरे **रीति-रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं** से विकसित हुई थी। लोग इन नियमों का पालन **स्वेच्छा से** करते थे क्योंकि वे उनके नैतिक और धार्मिक जीवन का हिस्सा थे, न कि किसी भय या दंड के कारण।

मेन ने कहा था —

"उन्नत समाजों की गति *स्थिति (Status)* से *अनुबंध (Contract)* की ओर रही है।"

अर्थात् प्रारंभिक समाजों में कानून व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और परंपराओं पर आधारित था, न कि किसी सम्प्रभु के आदेश पर। इस प्रकार, **विधि का अस्तित्व सम्प्रभुता से पहले भी था**, और **सम्प्रभु ही विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है।**

Here's your corrected and clear **English explanation** first, followed by a **Hindi translation** for your LLB notes:

(B)

Law of Moral or Ethical Conduct (Austin's View)

According to **Austin**, the **science of jurisprudence** is concerned only with **positive law**, that is, **law as it is**, and not with **law as it ought to be**.

He made a clear distinction between **law and morality**. Austin maintained that the **function of jurisprudence** is to study laws that are **actually laid down by a political superior**, without considering whether they are **good or bad**, **just or unjust**.

In his words, jurisprudence is concerned with **"laws strictly so called"**, meaning laws that have been **set by a sovereign authority** and are **enforceable through sanctions**. Questions of moral or ethical goodness, according to Austin, belong to **the realm of ethics**, not jurisprudence.

Thus, for Austin, **law is a command of the sovereign**, and **its validity does not depend on morality**, but only on the authority of the lawgiver.

नैतिक या आचार संबंधी विधि (ऑस्टिन का दृष्टिकोण)

ऑस्टिन के अनुसार **विधिशास्त्र (Jurisprudence)** का संबंध केवल **सकारात्मक विधि (Positive Law)** से है — अर्थात्, "**विधि जैसी है**" से, न कि "**विधि जैसी होनी चाहिए**" से।

उन्होंने **विधि (Law)** और **नैतिकता (Morality)** के बीच स्पष्ट भेद किया। ऑस्टिन का मत था कि विधिशास्त्र का कार्य उन नियमों का अध्ययन करना है जो वास्तव में **किसी राजनीतिक सम्प्रभु (Political Sovereign)** द्वारा बनाए गए हैं, भले ही वे **अच्छे या बुरे**, **न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण** क्यों न हों।

उनके शब्दों में, विधिशास्त्र का संबंध **"कठोर अर्थों में विधि" (Law strictly so called)** से है — अर्थात् वह विधि जो किसी सम्प्रभु सत्ता द्वारा बनाई गई हो और **जिसके पालन के लिए दंड (Sanction)** का प्रावधान हो।

ऑस्टिन के अनुसार, **विधि की वैधता (Validity)** उसके नैतिक मूल्य पर नहीं, बल्कि **विधि-निर्माता की सत्ता (Authority)** पर निर्भर करती है। इसलिए, नैतिकता और विधि दो अलग-अलग विषय हैं — **नैतिकता का क्षेत्र आचारशास्त्र (Ethics)** का है, जबकि **विधि का क्षेत्र विधिशास्त्र (Jurisprudence)** का।

What is positive law?

सकारात्मक विधि (Positive Law) से है — अर्थात्, "**विधि जैसी है**" से, न कि "**विधि जैसी होनी चाहिए**" से।

Austin's View on Law and Morality in Context of India

According to **Austin**, **law is not concerned with morality or ethics**. He believed that the study of law should focus only on **positive law**—that is, the laws made and enforced by the sovereign authority—without considering whether they are morally right or wrong.

However, in **India**, moral and ethical laws play a significant role in social life. Indian society has long followed **moral codes**, **customary rules**, and **religious duties** that guide human conduct. These moral principles often coexist with **positive laws** made by the state.

Therefore, the Indian legal system reflects a **combination of positive law, natural law, and ethical or moral law**. While Austin separates law from morality, in India both often **work together**, as people tend to respect not only legal rules but also the **moral and spiritual duties** rooted in their culture and religion.

भारत के संदर्भ में ऑस्टिन का दृष्टिकोण

ऑस्टिन के अनुसार, **विधि का नैतिकता या आचार से कोई संबंध नहीं है**। उनका मत था कि विधिशास्त्र का अध्ययन केवल **सकारात्मक विधि (Positive Law)** तक सीमित होना चाहिए — अर्थात्, वह विधि जो **सम्प्रभु सत्ता द्वारा बनाई और लागू की गई है**, चाहे वह नैतिक रूप से सही हो या गलत।

लेकिन **भारत** में सामाजिक जीवन में **नैतिक और आचार संबंधी नियमों** का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय समाज लंबे समय से **नैतिक आचरण**, **परंपरागत रीतियों** और **धार्मिक कर्तव्यों** पर आधारित नियमों का पालन करता आया है।

इसलिए भारतीय विधि-व्यवस्था में **सकारात्मक विधि**, **प्राकृतिक विधि (Natural Law)** और **नैतिक या आचार संबंधी विधि (Ethical Law)** — तीनों का समन्वय देखने को मिलता है।

जहाँ ऑस्टिन ने विधि को नैतिकता से अलग माना, वहीं भारत में दोनों **एक साथ कार्य करते हैं**, क्योंकि यहाँ लोग न केवल विधिक नियमों का, बल्कि **नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों** का भी सम्मान करते हैं।

(C)

Observation on the Element of Sanction

The element of **sanction** in law is not intended to **coerce or control the law-abiding majority**, but rather to **prevent a selfish minority from gaining an unfair advantage** by disobeying the law.

In other words, sanctions exist to **maintain discipline and equality** within society. Most people follow the law voluntarily, out of respect for order and justice. However, there are always a few who might act selfishly or unlawfully for personal gain. The **sanction element** ensures that such individuals are deterred or punished, thereby **protecting the interests of the majority** and maintaining social harmony.

दंड तत्व पर अभिप्राय (Observation on Sanction Element)

विधि में **दंड (Sanction)** का उद्देश्य **कानून का पालन करने वाले बहुसंख्यक लोगों को बाध्य करना नहीं**, बल्कि **स्वार्थी अल्पसंख्यक वर्ग को अनुचित लाभ उठाने से रोकना** है।

दंड का तत्त्व समाज में **अनुशासन और समानता बनाए रखने** के लिए होता है। अधिकांश लोग कानून का पालन स्वेच्छा से करते हैं, क्योंकि वे न्याय और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वार्थपूर्ण या अवैध कार्य कर सकते हैं।

ऐसे में **दंड का प्रावधान** यह सुनिश्चित करता है कि उन व्यक्तियों को रोका या दंडित किया जा सके, ताकि **बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा** हो और सामाजिक संतुलन बना रहे।

Kelsen's Pure Theory of Law

Hans Kelsen, an Austrian jurist, propounded the **Pure Theory of Law**. His aim was to separate law from politics, sociology, morality, and other social sciences. He wanted to make jurisprudence a **pure science**, dealing only with **law as it is (positive law)** and not **law as it ought to be**.

According to Kelsen, law is a **normative system** — a system of rules that prescribe certain behavior. Law does not describe what *is*, but what *ought to be* done. Every legal rule derives its validity from a **higher rule**, and ultimately all rules trace their authority to a **basic norm** or **Grundnorm**.

This **Grundnorm** is the fundamental norm from which all other legal norms derive their validity. It is not created by any authority but is **presupposed** as the foundation of the legal system (for example, in India, the **Constitution** can be seen as the Grundnorm).

Thus, Kelsen's Pure Theory of Law emphasizes that the study of law must be **free from moral, political, or social considerations**, focusing purely on the **structure and hierarchy of legal norms**.

केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत (Pure Theory of Law)

हैंस केल्सन (Hans Kelsen), जो ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, ने **शुद्ध विधि सिद्धांत (Pure Theory of Law)** प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य विधिशास्त्र को **राजनीति, समाजशास्त्र, नैतिकता** और अन्य सामाजिक विषयों से अलग करना था। वे विधिशास्त्र को एक **शुद्ध विज्ञान (Pure Science)** बनाना चाहते थे, जो केवल "**विधि जैसी है (Law as it is)**" का अध्ययन करे, न कि "**विधि जैसी होनी चाहिए (Law as it ought to be)**" का।

केल्सन के अनुसार, विधि एक **मानक प्रणाली (Normative System)** है — अर्थात् ऐसी नियमों की श्रृंखला जो यह बताती है कि क्या किया जाना चाहिए। हर विधिक नियम अपनी वैधता किसी **उच्चतर नियम (Higher Norm)** से प्राप्त करता है, और अंततः सभी नियम एक **मूल मानक (Basic Norm)** या **ग्रुंडनॉर्म (Grundnorm)** से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं।

यह **ग्रुंडनॉर्म (Grundnorm)** कोई सत्ता नहीं बनाती, बल्कि यह एक **स्वीकृत आधारभूत मान्यता (Presupposed Foundation)** होती है, जिस पर पूरा विधिक तंत्र आधारित होता है। उदाहरण के लिए, भारत में **संविधान (Constitution)** को एक प्रकार से *Grundnorm* माना जा सकता है।

इस प्रकार, केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत यह कहता है कि विधिशास्त्र का अध्ययन **नैतिक, राजनीतिक या सामाजिक विचारों से मुक्त** रहना चाहिए और केवल **विधिक नियमों की संरचना एवं क्रम (Hierarchy of Norms)** पर केंद्रित होना चाहिए।

As per hans kelsen view

Kelsen's View – Key Points

1. **Law should not be based on fear:**
   The validity of law does not depend on fear or force. Law derives its authority from the **legal system itself**, not from coercion or external pressure.

2. **Law must remain pure:**
   Law should not be mixed with **politics, morality, sociology, or religion**. Jurisprudence must study law in its **pure form** — as a system of legal norms, independent of any external influence.

3. **Law must be made on clear parameters:**
   Before making a law, the **legal parameters and principles** should be clearly defined. Only then can laws be logical, consistent, and just within the legal framework.

4. **Law is a hierarchy of norms:**
   Every law gains validity from a higher norm, and ultimately from the **basic norm (Grundnorm)**, which serves as the foundation of the entire legal system.

केल्सन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु

1. **विधि भय के आधार पर नहीं हो सकती:**
   विधि की वैधता (Validity) भय या बल (Force) पर निर्भर नहीं करती। उसकी शक्ति विधिक प्रणाली (Legal System) से आती है, न कि डर या दबाव से।

2. **विधि में अन्य विषयों का मिश्रण नहीं होना चाहिए:**
   विधि को **राजनीति, नैतिकता, समाजशास्त्र या धर्म** से अलग रखा जाना चाहिए। विधिशास्त्र का अध्ययन **शुद्ध रूप में (Pure Form)** किया जाना चाहिए, जिसमें केवल विधिक नियमों पर ध्यान दिया जाए।

3. **विधि निर्माण से पहले मापदंड तय होने चाहिए:**
   किसी भी विधि को बनाने से पहले उसके **मापदंड (Parameters)** और **सिद्धांत (Principles)** स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि कानून तर्कसंगत, संगत और न्यायसंगत हो।

4. **विधि नियमों की एक श्रेणीबद्ध संरचना है:**
   हर विधि अपनी वैधता किसी **उच्चतर नियम (Higher Norm)** से प्राप्त करती है, और अंततः सभी नियम एक **मूल मानक (Grundnorm)** से अपनी शक्ति लेते हैं, जो पूरे विधिक ढांचे का आधार होता है।

***** ****** ****** ****** ***** ***** **** *******